रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062024-255032 CG-DL-E-29062024-255032

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2376]

No. 2376]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2024

का.आ. 2505(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 998(अ), तारीख 01 मार्च, 2024, जो भारत के राजपत्र के भाग ।।, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 01 मार्च, 2024 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 720 हेक्टर (लगभग) या 1779.12 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई उक्त भूमि के किसी भाग में कोयला अभिप्राप्त है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 665.77 हेक्टर (लगभग) या 1645.12 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्यांक सी-I(ई)/III/जेजेआर/0524/1014 , तारीख 14 मई ,2024 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला चंद्रपुर, (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, स्कोप

3835 GI/2024 (1)

मीनार, 5th फ्लोर, कोर-2, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली – 110051 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) - 440001 के कार्यालय में किया जा सकेगा।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध करना है :-

"8. अर्जन की बाबत् आपत्तियां .- (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अधीन यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपित्तकर्ता को स्वयं सुने जाने या किसी विधी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपित्तयों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकडों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संवंध में विभिन्न रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार को आपित्तयों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख सहित उस सरकार को विनिश्चय के लिए देगा।
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में किसी हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते है।"

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 को उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 जो भारत के राजपत्र भाग - ।।, खंड - 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

गाडेगांव ओपनकास्ट खान

वणी क्षेत्र

जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

[रेखांक संख्या: सी-।(ई)/।।।/जेजेआर/0524/1014 , तारीख 14 मई ,2024]

सभी अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन			कुल	टिप्पणी
		सर्कल संख्यां			निजी	सरकारी	वन	(हेक्टेयर में)	
1.	विरुर	3	कोरपणा	चंद्रपुर	77.15	3.41	0.00	80.56	भाग
2.	सोनुरली	3	कोरपणा	चंद्रपुर	14.52	0.37	0.00	14.89	भाग
3.	गाडेगांव	3	कोरपणा	चंद्रपुर	442.08	33.89	0.00	475.97	भाग
4.	खैरगांव	5	कोरपणा	चंद्रपुर	12.43	0.00	0.00	12.43	भाग

भारत का राजपत्र : असाधारण

5.	कविठगांव	5	कोरपणा	चंद्रपुर	45.62	1.06	0.00	46.68	भाग
6.	हीरापुर	3	कोरपणा	चंद्रपुर	17.62	0.81	0.00	18.43	भाग
7.	सांगोडा	3	कोरपणा	चंद्रपुर	5.06	0.63	0.00	5.69	भाग
8.	करवई	3	कोरपणा	चंद्रपुर	8.94	2.18	0.00	11.12	भाग
जोड़					623.42	42.35	0.00	665.77	भाग

कुल क्षेत्र = 665.77 हेक्टर (लगभग)

या 1645.12 एकड़ (लगभग)

(1) ग्राम विरुर के अधिसूचना क्षेत्र के प्लाट संख्यांक :

अभिधृति भूमि: 118, 119, 120, 121, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252

सरकारी भूमि : नाला, रोड

(2) ग्राम सोनुरली के अधिसूचना क्षेत्र के प्लाट संख्यांक :

अभिधृति भूमि: 7, 8, 9, 10, 11, 29/1, 30/1, 31.

सरकारी भूमि: 29/2 और 30/2, रोड

(3) ग्राम गाडेगांव के अधिसूचना क्षेत्र के प्लाट संख्यांक :

अभिधृति भूमि: 1, 2, 3, 4, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 266, 267, 270/1, 270/2, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304.

सरकारी भूमि:13, 82, 257 (भाग), 211, रोड, नाला, आबादी भूमि

(4) ग्राम खैरगांव के अधिसूचना क्षेत्र के प्लाट संख्यांक :

अभिधृति भूमि: 129, 130, 131, 132, 133, and 134

(5) ग्राम कविठगांव के अधिसूचना क्षेत्र के प्लाट संख्यांक:

अभिधृति भूमि: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38.

सरकारी भूमि: सरकारी प्लॉट

(6) ग्राम हीरापुर के अधिसूचना क्षेत्र के प्लाट संख्यांक:

अभिधृति भूमि: 30, 31 और 32

सरकारी भूमि: नाला

(7) ग्राम सांगोडा के अधिसूचना क्षेत्र के प्लाट संख्यांक:

अभिधृति भूमि: 64 और 68

सरकारी भूमि: नाला

(8) ग्राम करवई के अधिसूचना क्षेत्र के प्लाट संख्यांक:

अभिधृति भूमि: 27, 29, 30 और 32

सरकारी भूमि: 28, 31 और नाला

सीमा वर्णन:

क-ख: रेखा ग्राम विरुर की सीमा पर बिंदु 'क' से प्रारंभ होती है और प्लॉट संख्याक 252, 240 की बाह्य सीमा से लगकर दक्षिण पूर्व दिशा में गुजरती है और ग्राम विरूर और सोनुरली के सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'ख' पर मिलती है।

<u>ख-ग</u>: रेखा बिंदु 'ख' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्याक 226, 222, 219, 217, और 216 की बाह्य सीमा से लगकर दक्षिण पूर्व दिशा में गुजरती है और ग्राम विरुर की सीमा पर स्थित बिंदु 'ग' पर मिलती है।

ग-घ: रेखा बिंदु 'ग' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्याक 204,205, 121, 120, और 119 की बाह्य सीमा से लगकर दक्षिण-पूर्व दिशा में गुजरती है और ग्राम विरूर की सीमा पर स्थित बिंदु 'घ' पर मिलती है।

<u>घ-ङ</u>: रेखा बिंदु 'घ' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्या 119 के बाह्य सीमा से लगकर दक्षिण दिशा में गुजरती है और ग्राम विरूर की सीमा पर स्थित बिंदु 'ड़' पर मिलती है।

<u>ङ-च</u>: रेखा बिंदु 'ङ ' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्याक 116, 117 की बाह्य सीमा से लगकर पश्चिम दिशा में गुजरती है और ग्राम विरूर की सीमा पर स्थित बिंदु 'च' पर मिलती है।

च<u>-छ</u>: रेखा बिंदु 'च' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में गुजरती है और ग्राम विरूर और गाडेगांव की सम्मिलित सीमा से लगकर गुजरती है और ग्राम गाडेगाव की सीमा पर स्थित बिंदु 'छ' पर मिलती है।

<u>छ-ज</u>: रेखा बिंदु 'छ' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्याक 4,3,2,1,13,67, और 66 की बाह्य सीमा से लगकर दक्षिण दिशा में गुजरती है और ग्राम गाडेगांव की सीमा पर स्थित बिंदु 'ज' पर मिलती है।

ज-झ : रेखा बिंदु 'ज' से आरंभ होती है, प्लॉट संख्याक 66, 76, 87, 88 की बाह्य सीमा से लगकर दक्षिण-पूर्व दिशा में गुजरती है और ग्राम गाडेगांव की सीमा पर स्थित बिंदु 'झ' पर मिलती है। <u>झ-ञ</u>: रेखा बिंदु 'झ' से आरंभ होती है और पूर्व दिशा में गुजरती है और ग्राम गाडेगांव और खैरगांव की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'ञ' पर मिलती है।

<u>ञ-ट</u>: रेखा बिंदु 'ञ' से आरंभ होती है और दक्षिण दिशा में गुजरती है और खैरगांव और कविठगांव की सम्मिलित सीमा से लगकर गुजरती है और ग्राम कविठगांव की सीमा पर स्थित बिंदु 'ट' पर मिलती है।

ट-ठ: रेखा बिंदु 'ट' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्याक 12, 13, 14 की बाह्य सीमा से लगकर पश्चिम दिशा में गुजरती है और ग्राम कविठगांव और गाडेगांव की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'ठ' पर मिलती है।

<u>ठ-ड:</u> रेखा बिंदु 'ठ' से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में गुजरती है और ग्राम गाडेगांव और हीरापुर की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'ड' पर मिलती है।

<u>ड-ढ:</u> रेखा बिंदु 'ड' से आरंभ होती है और उत्तर-पश्चिम दिशा में गुजरती है और ग्राम हीरापुर और सांगोडा की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'ढ' पर मिलती है।

<u>ढ-ण:</u> रेखा बिंदु 'ढ' से आरंभ होती है और उत्तर दिशा में गुजरती है और ग्राम हीरापुर और सांगोडा की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'ण' पर मिलती है।

<u>ण-त</u>: रेखा बिंदु 'ण' से आरंभ होती है और उत्तर दिशा में गुजरती है और ग्राम गाडेगांव, करवई और सांगोडा की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'त' पर मिलती है।

त-थ: रेखा बिंदु 'त' से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में गुजरती है और ग्राम सांगोडा और करवई की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'थ' पर मिलती है।

<u>थ-द:</u> रेखा बिंदु 'थ' से आरंभ होती है और उत्तर दिशा में गुजरती है और ग्राम गाडेगांव की सीमा पर स्थित बिंदु 'द' पर मिलती है।

<u>द-ध</u>: रेखा बिंदु 'द' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्याक 261, 260, 259, 258, 254, 266, और 267 की बाह्य सीमा से लगकर पूर्व दिशा में गुजरती है और ग्राम गाडेगांव की सीमा पर स्थित बिंदु 'ध' पर मिलती है।

<u>ध-न</u>: रेखा बिंदु 'ध' से आरंभ होती है, प्लॉट संख्याक 270, 274, 276 की बाह्य सीमा से लगकर उत्तर-पूर्व दिशा में गुजरती है और ग्राम गाडेगांव और सोनुरली की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'न' पर मिलती है।

न-पः रेखा बिंदु 'न' से आरंभ होती है और पूर्व दिशा में गुजरती है और ग्राम सोनुरली की सीमा पर स्थित बिंदु 'प' पर मिलती है।

<u>प-फ</u>: रेखा बिंदु 'प' से आरंभ होती है और पूर्व दिशा में गुजरती है और ग्राम विरुर और सोनुरली की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'फ' पर मिलती है।

<u>फ-ब</u>: रेखा बिंदु 'फ' से आरंभ होती है और उत्तर दिशा में ग्राम सोनुरली और विरुर की सम्मिलित सीमा से लगकर गुजरती है और ग्राम विरुर और सांगोडा की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिंदु 'ब' पर मिलती है।

<u>ब-भ</u>: रेखा बिंदु 'ब' से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में गुजरती है और ग्राम विरुर की सीमा पर स्थित बिंदु 'भ' पर मिलती है।

भ-क: रेखा बिंदु 'भ' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्याक 249, 246, 244, 243, 242, 250, 251, और 252 की बाह्य सीमा से लगकर उत्तर दिशा में गुजरती है और ग्राम विरूर की सीमा पर स्थित बिंदु 'क' पर समाप्त होती है।

[फा. सं. 43015/03/2024-एलएएंडआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2024.

S.O. 2505(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S. O. 998(E), dated the 1st March, 2024 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), and published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st March, 2024, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 720 hectares (approximately) or 1779.12 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to the that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 665.77 hectares (approximately) or 1645.12 acres (approximately) and all rights in or over the said land as specified in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number C-I(E)/III/JJR/0524/1014, dated the 14th May, 2024, the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District – Chandrapur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, Scope Minar, 5th floor, Core-2, Laxmi Nagar, New Delhi-110051 or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur, (Maharashtra)-440001.

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:-

"8. Objections to acquisition.- (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

- (2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.
- (3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."
- **Note 3:** The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata 700001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, *vide* notification number S.O. 2519, dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

Gadegaon Open Cast Mine

Wani Area

District Chandrapur (Maharashtra)

[Plan Bearing Number: C-I(E)/III/JJR/0524/1014, dated the 14th May, 2024]

All Rights:

Sr. No.	Name of Village				Area of Land in Hect.				
		Patwari Circle.No.	Tahsil	District	Tenancy	Govt.	Forest	Total	Remarks
1	Wirur	3	Korpana	Chandrapur	77.15	3.41	0.00	80.56	Part
2	Sonurli	3	Korpana	Chandrapur	14.52	0.37	0.00	14.89	Part

3	Gadegaon	3	Korpana	Chandrapur	442.08	33.89	0.00	475.97	Part
4	Khairgaon	5	Korpana	Chandrapur	12.43	0.00	0.00	12.43	Part
5	Kavithgaon	5	Korpana	Chandrapur	45.62	1.06	0.00	46.68	Part
6	Hirapur	3	Korpana	Chandrapur	17.62	0.81	0.00	18.43	Part
7	Sangoda	3	Korpana	Chandrapur	5.06	0.63	0.00	5.69	Part
8	Karwai	3	Korpana	Chandrapur	8.94	2.18	0.00	11.12	Part
					623.42	42.35	0.00	665.77	

Total area: 665.77 hectare (approximately) or 1645.12 acres (approximately)

(1). Plot number within notification boundary in village Wirur:

Tenancy Land Wirur:

118, 119, 120, 121, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252.

Government land: Nallah, Road

(2) Plot number within notification boundary in village Sonurli:

Tenancy Land:

7, 8, 9, 10, 11, 29/1, 30/1, 31

Government land: 29/2 and 30/2, Road

(3) Plot number within notification boundary in village Gadegaon:

Tenancy Land Gadegaon:

1, 2, 3, 4, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 266, 267, 270/1, 270/2, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304.

Government land: 13, 82, 257 (Part), 211, Road, Nallah, Abadi land.

(4) Plot number within notification boundary in village Khairgaon:

Tenancy Land: 129, 130, 131, 132, 133, and 134

(5) Plot number within notification boundary in village Kavithgaon:

Tenancy Land: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38

Government Land: Government Plot

(6) Plot number within notification boundary in village Hirapur:

Tenancy Land Hirapur: 30, 31, and 32

Government Land: Nallah

(7) Plot number within notification boundary in village Sangoda:

Tenancy Land: 64 and 68 Government Land: Nallah

(8) Plot number within notification boundary in village Karwai:

Tenancy Land: 27, 29, 30, and 32 Government Land: 28, 31 and Nallah.

BOUNDARY DESCRIPTION:

<u>A-B</u>: Line starts from point 'A' in village Wirur, passes in South East direction along the outer boundary of Plot Numbers 252, 240 and meets at point 'B' on the common village boundary of village Wirur and Sonurli.

<u>B-C</u>: Line starts from point 'B', passes in South East direction along the outer boundary of Plot Numbers 226, 222, 219, 217 and 216 and meets at point 'C' in Village Wirur.

<u>C-D</u>: Line starts from point 'C', passes in South-East direction along the outer boundary of Plot Numbers 204,205, 121, 120, 119 and meets at point 'D' in village Wirur.

<u>D-E</u>: Line starts from point 'D', passes in South direction along the outer boundary of Plot Number 119, and meets at point 'E' in village Wirur.

<u>E-F</u>: Line starts from point 'E', passes in West direction along the outer boundary of Plot Numbers 116, 117, and meets at point 'F' in village Wirur.

<u>F-G</u>: Line starts from point 'F', passes in South direction, crosses the common village boundary of village Wirur and Gadegaon and meets at point 'G' in village Gadegaon.

<u>G-H</u>: Line starts from point 'G', passes in South direction along the outer boundary of Plot Numbers 4,3,2,1,13,67,66 and meets at point 'H' in village Gadegaon.

<u>H-I</u>: Line starts from point 'H', passes in South-East direction along the outer boundary of Plot Numbers 66, 76, 87, 88 and meets at point 'I' in village Gadegaon.

<u>I-J</u>: Line starts from point 'I', passes in East direction, and meets at point 'J' on the common village boundary of village Gadegaon and Khairgaon.

<u>J-K</u>: Line starts from point 'J', passes in South direction, crosses the common village boundary of Khairgaon and Kavithgaon and meets at point 'K' in village Kavithgaon.

<u>K-L</u>: Line starts from point 'K', passes in West direction along the outer boundary of Plot Numbers 12, 13, 14 and meets at point 'L' on the common village boundary of village Kavithgaon and Gadegaon.

<u>L-M</u>: Line starts from point 'L', passes in West direction, and meets at point 'M' on the common village boundary of village Gadegaon and Hirapur.

<u>M-N</u>: Line starts from point 'M', passes in North-West direction, and meets at point 'N' on the common village boundary of village Hirapur and Sangoda.

N-O: Line starts from point 'N', passes in North direction, and meets at point 'O'

on the common village boundary of village Hirapur and Sangoda.

O-P: Line starts from point 'O', passes in North direction, and meets at point 'P' on the common village boundary of village Gadegaon, Karwai and Sangoda.

<u>P-Q</u>: Line starts from point 'P', passes in West direction, and meets at point 'Q' on the common village boundary of village Sangoda and Karwai.

Q-R: Line starts from point 'Q', passes in North direction, and meets at point 'R' in village Gadegaon.

<u>R-S</u>: Line starts from point 'R', passes in East direction along the outer boundary of Plot Numbers 261, 260, 259, 258, 254, 266, 267 and meets at point 'S' in village Gadegaon.

<u>S-T</u>: Line starts from point 'S', passes in North-East direction along the outer boundary of Plot Numbers 270, 274, 276 and meets at point 'T' on the common village boundary of village Gadegaon and Sonurli.

<u>T-U</u>: Line starts from point 'T', passes in East direction, and meets at point 'U' in village Sonurli.

<u>U-V</u>: Line starts from point 'U', passes in East direction, and meets at point 'V' on the common village boundary of village Wirur and Sonurli.

<u>V-W</u>: Line starts from point 'V', passes in North direction along common village boundary of village Sonurli and Wirur and meets at point 'W' on the common village boundary of village Wirur and Sonurli.

W-X: Line starts from point 'W', passes in West Direction, and meets at point 'X' in village Wirur.

<u>X-A</u>: Line starts from point 'X', passes in North direction along the outer boundary of Plot Numbers 249,246, 244,243, 242, 250, 251,252 and meets at point 'A' in village Wirur.

[F. No. 43015/3/2024-LA&IR] BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.